कार्यालय–अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।

E-mail :nodalofficerddn@gmail.com Phone/ Fax: 0135-2767611

संख्याः–2061 /FP/UK/ROAD/45296/2020 देहरादूनःदिनॉक 25 फरवरी, 2022

सेवा में,

वन संरक्षक,
गढ़वाल वृत्त, पौड़ी।

विषयः– जनपद–पौड़ी गढवाल के अन्तर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या एन0एच0 119/534 किमी0 196.00 से 276.00 सतपुली–श्रीनगर तक दो लेन सड़क चौड़ीकरण हेतु 32.553 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु रा0रा0, लो0नि0वि0, श्रीनगर को प्रत्यावर्तन।

सन्दर्भः– आपका पत्रांक–1820/12–1 दिनांक 16–02–2022।

महोदय,

आपके उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव का गहन अवलोकन करने के पश्चात् निम्न प्रकार प्रस्ताव में अपूर्णता दृष्टिगत हो रही है, जिसका निराकरण किया जाना तत्काल आवश्यक है। प्रस्ताव में इंगित कमियां निम्न प्रकार हैं :–

1. प्रस्ताव में ऑनलाईन अपलोड Authority Letter में अधिशासी अभियन्ता को वन भूमि हस्तान्तरण कार्य हेतु नामित किया गया है, जबकि ऑनलाईन Part-I के पैरा–A-3 में वन भूमि हस्तान्तरण हेतु कपिल सिंह, सहायक अभियन्ता का नाम अंकित किया गया है। कृपया सही Authority Letter प्रस्ताव में अपलोड करें एवं प्रस्ताव में भी संलग्न करें।
2. भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्र भाग–I (प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा भरे जाने वाले) में सभी सूचनायें पूर्ण रूप से भरी जाय।
3. भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्र भाग– II में प्रभावित बांज वृक्षों की संख्या–199 अंकित की गई है, जबकि प्रपत्र भाग– III (वन संरक्षक द्वारा भरे गये) में प्रभावित बांज वृक्षों की संख्या–200 अंकित है। कृपया स्थिति स्पष्ट करने का कष्ट करें।
4. प्रस्ताव में संलग्न बार–चार्ट स्पष्ट नहीं है, प्रस्तावित मार्ग का चौडीकरण किया जाना है। अतः पूर्व निर्मित मार्ग की (चौड़ाई अंकित करते हुये) प्रस्तावित परियोजना को भी बार–चार्ट में दर्शाया जाय एवं प्रभावित विभिन्न प्रकार की भूमि को निर्धारित रंगो से बार–चार्ट में दर्शाया जाय।
5. प्रस्ताव पर पृष्ठ संख्या अंकित करते हुये विषय सूची तैयार कर प्रस्ताव में संलग्न की जाय।
6. प्रस्ताव में संलग्न प्रारूप 23.2 जो कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 से सम्बन्धित है में उपखण्ड स्तरीय प्रमाण–पत्र में दिनांक 29–07–2015 अंकित की गई है, जबकि प्रस्ताव में संलग्न ग्राम सभाओं की बैठक में वर्ष 2016–17 अंकित किया गया है। उपखण्ड स्तरीय प्रमाण–पत्र में तिथि ग्राम सभाओं की बैठक की तिथि बाद की अंकित की जाती है, स्थिति स्पष्ट करें। वन अधिकार से सम्बन्धित समस्त प्रमाण–पत्रों/प्रपत्रों में निर्धारित स्थान पर दिनांक एवं तिथि अंकित की जाय।
7. वन अधिकार अधिनियम, 2006 से सम्बन्धित प्रमाण–पत्र पूर्ण रूप से ऑनलाईन अपलोड नहीं किये गये हैं। कृपया VLC एवं SDLC की मीटिंग के मिनट्स सहित पूर्ण FRA प्रमाण–पत्र प्रस्ताव में अपलोड किया जाय।
8. वन संरक्षक द्वारा भरे जाने वाले प्रपत्र भाग–III व प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा भरे जाने वाले प्रपत्र भाग–II में प्रभावित होने वाले वृक्षों की संख्या–2406 अंकित की गई है, जबकि प्रस्ताव में वृक्षों के पातन से सम्बन्धित अन्य प्रमाण–पत्रों में प्रभावित होने वाले वृक्षों की संख्या कुल 2743 अंकित की गई है। कृपया स्थिति स्पष्ट करने का कष्ट करें।
9. उपरोक्त के अतिरिक्त प्रस्तावित क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल का डिजिटल एवं जियोरेफरेन्स मानचित्र एवं Kml file अपलोड नहीं की गयी है। क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल मानचित्र ऑनलाईन अपलोड कर प्रस्ताव में भी संलग्न करें।
10. क्षतिपूरक वृक्षारोपण उपयुक्तता प्रमाण–पत्र ऑनलाईन अपलोड करते हुये प्रस्ताव में भी संलग्न करें।

अतः उपरोक्त कमियों का निराकरण करने हेतु अपने स्तर से सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी/प्रस्तावक विभाग को निर्देशित करने का कष्ट करें, एवं प्रस्ताव में इंगित कमियों का पूर्ण निराकरण करने के पश्चात प्रस्ताव इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें, ताकि प्रकरण पर अग्रेत्तर कार्यवाही की जा सके।

भवदीय,

(मयंक शेखर झा)
उप वन संरक्षक

संख्याः–2061 /FP/UK/ROAD/45296/2020 दिनॉकित।

1. प्रतिलिपि :– प्रभागीय वनाधिकारी, गढ़वाल वन प्रभाग, पौड़ी को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि प्रस्ताव में इंगित कमियों का प्रस्तावक विभाग से पूर्ण निराकरण/समस्त औपचारिकतायें पूर्ण करवाकर प्रस्ताव इस कार्यालय को यथाशीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें, ताकि प्रकरण पर अग्रेत्तर कार्यवाही की जा सके।
2. प्रतिलिपि :– अधिशासी अभियन्ता, (राष्ट्रीय राजमार्ग), श्रीनगर पौड़ी को इस आशय से प्रेषित कि प्रस्ताव में इंगित कमियों का पूर्ण निराकरण करने हेतु प्रस्ताव की प्रतियां इस कार्यालय से वापस प्राप्त कर लेवें एवं सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी/वन संरक्षक के माध्यम से प्रस्ताव इस कार्यालय को यथाशीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें, ताकि प्रकरण पर अग्रेत्तर कार्यवाही की जा सके।

(मयंक शेखर झा)
उप वन संरक्षक